यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली** के माह 04/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17-10-2018 से 22-10-2018 तक श्री बी॰ डी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा सलीम खान, पर्यवेक्षक एवं श्री अनिल कुमार-1, लेखा परीक्षक के द्वारा दिनांक 15/04/2015 से 22/04/2015 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था, जिसमें माह 05/2008 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
2015-16	शून्य	शून्य	140.19	139.13	76.61	3.81		73.86
2016-17	शून्य	शून्य	172.37	143.29	60.00	60.00		29.08
2017-18	शून्य	शून्य	161.68	158.70	163.08	113.20		52.86
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	148.83	80.63	7.40	00		75.59

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत शासन स्तर से प्राप्त किए जाते हैं । विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. प्रमुख सचिव 3. आयुक्त 4. अपर आयुक्त 5. संयुक्त आयुक्त 6. उपायुक्त 7. जिला पूर्ति अधिकारी 8. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 9. पूर्ति निरीक्षक 10. लेखाकार आदि

(IV) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर 01: योजना का कार्यान्वयन पूर्ण न किये जाने से योजना की धनराशि रूपये 57.89 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा ब्याज की धनराशि रूपये 33.96 लाख को शासन को समर्पित न किया जाना।

आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा ग्रामीण विषम भौगोलिक क्षेत्र की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जाने के लिए प्रथम चरण वर्ष 2008 में राज्य के जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ को चिन्हित किया गया। बी॰पी॰एल॰/ अन्त्योदय परिवार की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण हेतु धनराशि रूपये 148.00 लाख आवंटित की गयी थी। वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्रावधानों के अनुसार शासकीय धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को विभागीय प्राप्ति शीर्ष में (बैंक से आहरित कर वर्षान्त अथवा योजना की समाप्ति पर) राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा कर दिया जाना चाहिये था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली के अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त राशि को मार्च 2008 में कोषागार से आहरित कर भारतीय स्टेट बैंक, चमोली के खाता संख्या 30358124754 में रूपये 148.00 लाख जमा कर दिया गया। उक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रूपये 90,10,909/- का व्यय किया गया तथा शेष धनराशि ₹ 57,89,091/-बिना व्यय के लेखा परीक्षा अवधि (अक्टूबर 2018) तक अवरुद्ध थी। इस योजना को प्रारम्भ हुये 10 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी योजना को पूरा नहीं किया जा सका। जिससे आम जनता को मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया जो विभागीय उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत धनराशि पर सितम्बर 2018 तक ब्याज की धनराशि रूपये 33,96,350/-अर्जित हुआ था जिसे न तो समर्पित किया गया और न ही उच्चाधिकारियों/ विभाग को सूचित किया गया था।

उक्त से स्पष्ट था कि योजना की राशि रूपये 57,89,091/- तथा ब्याज की राशि रूपये 33,96,350/- कुल रूपये 91,85,441/- को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा गया था। जिससे उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र विकास कार्यों में नहीं किया जा सका।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि योजनागत 2343 परिवारों में से 2232 परिवारों को गैस कनेक्शन दिये गए तथा शेष 111 परिवारों को गैस कनेक्शन दिये जाने अवशेष हैं एवं धनराशि रूपये 57.89 लाख के उपयोग किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। ब्याज की धनराशि रूपये 33.96 लाख को समर्पित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभागीय उदासीनता के कारण 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी योजना के अन्तर्गत चयनित 111 परिवारों को गैस कनेक्शन नहीं दिये गए एवं सरकार द्वारा लागू योजना को पूरा नहीं किया जा सका। योजना की राशि रूपये 57.89 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा आम जनता को इस योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया। उक्त धनराशि पर ब्याज के रूप में अर्जित धनराशि रूपये

33.96 लाख को यथा समय शासन को समर्पित नहीं किया गया, जिससे उक्त धनराशि का अन्य किसी योजना में उपयोग नहीं किया जा सका।

अतः योजना को पूरा न किये जाने से योजना की धनराशि रूपये 57.89 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा ब्याज की धनराशि रूपये 33.96 लाख को शासन को समर्पित नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01- खाद्यान एवं भंडारों को गेहूं का कम वितरण 2528.77 कुंतल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यानों का वितरण राशन कार्डों तथा उनमें अंकित यूनिटों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके तहत भारत सरकार की दो योजनाये; अन्तोद्य तथा प्राथमिक परिवार लागू की गयी हैं प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष यूनिटों के आधार पर दो किग्रा॰ गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह (यूनिटों की संख्या x 0.02 कुंतल x 12 माह) आवंटित किया जाना चाहिए था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2017-18 में प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत सात आंतरिक गोदामों को मानकों से कम गेहूं आवंटित किया गया जिसका विवरण निम्न है-

क्र॰ सं॰	आंतरिक गोदाम का नाम	यूनिटों की संख्या	मानक के अनुसार गेहूं का आबंटन (यूनिट x 0.02 x 12 कुंतल)	वास्तविक आवंटित मात्रा (कुंतल में)	कमी/ अन्तर (कुंतल में)
1	जोशिमठ	14266	3423.84	3155.49	268.35
2	नन्द प्रयाग	13642	3274.08	2983.70	290.38
3	सैनजी	3919	940.56	753.42	187.14
4	आदिबद्रि	7834	1880.16	1604.46	275.70
5	थराली	15522	3725.28	3404.72	320.56
6	मेलचौरी	13927	3342.48	2740.64	601.84
7	गैरसैंड	13541	3249.84	2665.04	584.80
कुल योग		**82651**	**19836.24**	**17307.47**	**2528.77**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में सात आंतरिक गोदामों को 2528.77 कुंतल गेहूं कम आवंटित हुआ जिससे प्रति व्यक्ति 0.24 कुंतल (0.002 कुंतल प्रति माह) प्रति वर्ष की दर से लगभग 10536 व्यक्तियों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी कार्डों का डिजिटाईजेशन न होने से तथा वर्ष के दौरान कार्डों की संख्या में कमी आना तथा इस संख्या में बढ़ जाने के कारण यूनिटों में अन्तर आ जाता है जिस कारण खाद्य का सही वितरण नहीं हो पाया।

उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि मानकों के अनुसार तथा वास्तविक वितरित मात्रा में गोदाम वार अन्तर अधिक था। अतः खाद्यान एवं भंडारों को गेहूं का कम वितरण 2528.77 कुंतल का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02- निर्गत किए गए राशन कार्डों की धनराशि रु. 250600/- की वसूली लंबित रहना ।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समय समय पर अपने अंतर्गत आने वाले ब्लॉक को राशन कार्ड निर्गत करती है। जिसकी धनराशि ब्लॉक द्वारा कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी को प्रदान की जाती है।

अभिलेखो की जांच में पाया गया कि निर्गत किए गए राशन कार्डो की अवशेष धनराशि जो लेखा परीक्षा तिथि तक वसूली हेतु लंबित थी इस प्रकार है:

क्रम सं.	**ब्लॉक का नाम**	**अवशेष धनराशि**
1	दशोली	3625
2	जोशीमठ	34195
3	धार	1325
4	कर्णप्रयाग	45670
5	पोखरी	43245
6	गैरसैण	18880
7	नारायण बगड़	21310
8	थराली	10060
9	देवाल	23835
10	पूर्ति निरीक्षक चमोली	925
11	पूर्ति निरीक्षक, जोशीमठ	14530
12	पूर्ति निरीक्षक, कर्णप्रयाग	20075
13	पूर्ति निरीक्षक, पोखरी	4925
14	पूर्ति निरीक्षक, गैरसैण	8000
	योग	**2,50,600**

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वसूली हेतु पत्राचार जारी है। अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है ।

STAN

प्रस्तर-3 : जनपद में राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटाइज्ड करने हेतु बल दिया गया था जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी लाभार्थियों की आधार सीडिंग मार्च 2017 तक तथा इनका डिजिटैजेशन अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाये क्योंकि ऐसा न होने की दशा में राज्य के कोटे पर निर्गत सब्सिडाइज्ड राशन की मात्रा पर विपरीत असर पड़ रहा था। अतः राज्य हित में उक्त कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, चमोली के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में अभी तक 5498 राशन कार्डों को डिजिटाइजेशन नहीं किया गया। उक्त राशन कार्डों को ऑन लाइन/ validation किए खाद्य निर्गत जा रहा था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है।

विभाग का उत्तर संतोषजंक नहीं क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा उक्त तिथि तक 5498 कार्डों का डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया था जो कि लक्ष्य से लगभग 6 प्रतिशत कम था।

अतः जनपद में राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 04- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाना।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग क परिसर के लिए उसकी क्षमता के अनुसार भूमिगत गैस टाईट टैंक जो निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से जुड़े होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त पेट्रोल पम्पों की जांच निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रस्तावित प्लान के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्यस्थल पर वर्तमान में अनुमोदित प्लान में फेरबदल बिना लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली के अन्तर्गत 11 पेट्रोल पम्प संचालित थे, पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जांच नहीं की जा रही थी । प्रश्नगत पेट्रोल पम्पों के द्वारा भूमिगत गैस टाईट टैंक से निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से निर्धारित नोजलों से अधिक नोजल लगाये जाने की जांच विभाग द्वारा नहीं की गयी। पेट्रोल पम्पों की जांच निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रस्तावित प्लान के अनुसार ही किया गया था एवं कार्यस्थल पर वर्तमान में अनुमोदित प्लान में फेरबदल किया गया। विभाग द्वारा जनपद के 11 पेट्रोल पम्पों में से 04 से प्रोफ़ार्मा XIV प्राप्त किया गया शेष 07 से फार्म प्राप्त ही नहीं किए गए जिससे यह पता चल सके कि शेष 07 पेट्रोल पम्पों में कितने नोजल की शासन से स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, वर्तमान में उक्त पेट्रोल पम्पों की वास्तविक स्थिति अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो पायी।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि वर्तमान में पैट्रोल पम्पों के नोजलों की जांच नहीं की जा रही तथा समयाभाव के कारण कार्यस्थल पर अनुमोदित प्लान की जाँच नहीं की जा रही है। 07 पैट्रोल पम्पों से प्रोफ़ार्मा XIV प्राप्त किया जायेगा।

पूर्ति अधिकारी की स्वीकारोक्ति यह दर्शाती है कार्यालय के द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नोजल लगाए जाने से संबन्धित कोई जाँच नहीं की गयी और पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 05- विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में निविदाओं का आमंत्रण नहीं किये जाने और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार समस्त अधिप्राप्ति निविदा के माध्यम से किया जाना चाहिये विशेष परिस्थितियों में अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी गयी हो। इसके अतिरिक्त निविदा की शर्त 32 के अनुसार उक्त अवधि को तीन माह की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग चमोली के भण्डारों हेतु खाद्यान/ चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के तहत माह 04/2015 से 09/2018 तक के अभिलेखों की जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पूर्ति अधिकारी, चमोली के द्वारा निविदाओं का आमंत्रण न करके पुरानी निविदा के अनुसार ही पुराने अनुबन्धित परिवहन ठेकेदारों को उस वर्ष के लिए स्वीकृत दरों पर ही परिवहन का ठेका दे दिया गया था। कार्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि (04/2015 से 09/2018) वर्ष 2015-16 में केवल एक बार के लिये निविदा का आमंत्रण किया गया तथा वर्ष 2013-14 से 2014-15 में भी निविदा का आमंत्रण नहीं किया गया। उक्त अवधि में अन्य परिवहन ठेकेदारों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिल सका, जो कि नियमों के विरुद्ध था।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में निविदाओं का आमंत्रण नहीं किया गया और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि परिवहन ठेकेदारों के द्वारा निविदा हेतु सहमति स्वीकृत दरों पर ढुलान किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी जिस कारण से निविदा आमंत्रित नहीं की गयी। विभाग द्वारा पुरानी दरों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी।

पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखा परीक्षा अवधि (04/2015 से 09/2018) वर्ष 2015-16 में केवल एक बार के लिये निविदा का आमंत्रण किया गया तथा वर्ष 2013-14 से 2014-15 में भी निविदा का आमंत्रण नहीं किया गया। जिससे उक्त अवधि में अन्य परिवहन ठेकेदारों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिल सका

अतः विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में निविदाओं का आमंत्रण नहीं किये जाने और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
13/2015-16	00	1,2,3	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	----------	अप्रस्तुत	----------	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. अनुपालन आख्या।
4. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री मोहन सिंह राणा	जिला पूर्ति अधिकारी	15/02/13 से 20/03/17
2	श्री इन्द्र देव नौटियाल	जिला पूर्ति अधिकारी	31/07/17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.